न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/155/2025 दायर दिनांकः–13.10.2025 रजि0 न0 2025/363

अपीलार्थीः–

श्री विष्णु चावड़ा पुत्र श्री हेमकरण चावड़ा, नि० 50–51, शिव कॉलोनी, तिजारा फाटक, अलवर–301001

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 28.10.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 28.08.2025 के परिपेक्ष्य में तथ्यहीन अपारदर्शी सूचना दिये जाने से असंतुष्ट होकर उचित सूचना दिलवाये जाने हेतु अपील पेश की गई है।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 27.10.2025 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी ने जवाब अपील पत्रांक लो०सू०अ०/प्रथम अपील/2025/2045 दिनांक 24.10.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांकः 28.10.2025 को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार RTI Online Portal पर जरिये Application No. 293545981284045 दिनांकः 08.09.2025 ऑनलाइन दर्ज रजिस्टर कर, वांछित सूचना कोषाधिकारी अलवर से प्राप्त सूचना के आधार पर अपीलार्थी को ऑनलाइन पत्र सं. 5265651444 दिनाक 23.09.2025 पर आक्षेप व्यक्त कर सूचना चाही गई। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन दिनांक 28.08.2025 के माध्यम से विगत 5 वर्षो में कोषाधिकारी अलवर के नियुक्ति/पदस्थापन आदेश, स्थानान्तरण संबंधित नियम कोषालय अलवर से किये गये भुगतान/अनुदान/वितिय व/ऑडिट रिपोर्ट, विविध शिकायत, टेंडर, पेंशन प्रकरण संबंधि अतिविस्तृत वृहद अभिलेखनीय सूचना चाही गई है जिसको समेकित/अनुमानित रूप में सूचना प्राप्ति हेतु प्रतिलिपी शुल्क (अनुमानित राशि रू. 3,60,000/–मात्र) जमा राजकोष काराये जाने हेतु लिखा गया जो कि अपीलार्थी द्वारा आज दिनांक तक भी जमा नहीं कराई गई है। यदि अपीलार्थी उक्तानुसार विहित दस्तावेजीय प्रतिलिपी हेतु फोटो प्रति शुल्क जमा राजकोष करा देता है तो तदानुसार संबंधित सूचना प्राप्त कर नियमानुसार अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जा सकती है।
6. प्रत्यर्थी का जवाब एवं अपील का अवलोकन एवं मनन करने पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना में अपीलार्थी द्वारा प्रतिलिपी शुल्क अनुमानित राशि 3,60,000/– रूपये मात्र जमा राजकोष कराने पर नियमानुसार अपीलार्थी को चाही गई सूचना 15 दिवस में उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।
7. आज दिनांक 28.10.2025 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया ।

जिला कलक्टर न्यायालय अलवर (राज०)

(डा. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर